संख्या-242 /2022/612/41-2012-130(बजट)/2019

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **(लखनऊ, दिनॉक 11 अपैल, 2022**

विषय-जनपद मथुरा में कोसीकलां के पास स्थित कोकिला वन शनिधाम में परिक्रमा मार्ग का निर्माण, ट्वायलेट ब्लाक तथा सोलर प्लान्ट की स्थापना के कार्य कराये जाने हेतु संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-7878/6-1-1/ब्र.ती.वि.प./(100)/2019 दिनॉक 11 मार्च 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य योजना के अन्तर्गत **जनपद मथुरा में कोसीकलां के पास स्थित कोकिला वन शनिधाम में परिक्रमा मार्ग का निर्माण, ट्वायलेट ब्लाक तथा सोलर प्लान्ट की स्थापना के कार्य कराये जाने** हेतु **मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण** को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए उसके द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष **रू0 740.10 लाख** (रूपये सात करोड़ चालीस लाख दस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 370.05 लाख (रूपये तीन करोड़ सत्तर लाख पांच हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0-21/2020/3486/41-2019-130(बजट)/2019 दिनांक 14-01-2020 द्वारा निर्गत की गई थी। उक्त पृष्ठभूमि में प्रायोजना के निर्माण कार्य हेतु 2.0112 हेक्टेअर आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु भूमि को हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति दि0-29-12-21 के क्रम में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभार मथुरा ने अपने पत्रांक- 2501/41-1 दिनांक 3-1-22 द्वारा कॉस्ट आफ कम्पनसेटरी फार एफोरसियेन के मद में रू0-1332500.00 तथा भूमि मूल्य के रूप में रू0-1259011.00 अर्थात् कुल धनराशि रू0- 2591511.00 की मांग की गई । उक्त के क्रम में महानिदेशक पर्यटन द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला मथुरा ग्राम महावन की ग्राम समाज खसरा सं0- 2866ग की भूमि पर वनीकरण हेतु भूमि को आरक्षित वन/संरक्षित वन घोषित किये जाने के लिये राज्य सरकार द्वारा इण्डियन फारेस्ट ऐक्ट 1927 की सुसंगत धारा के तहत गजट नोटिफिकेशन की आवश्यकता है अत: वन विभाग को दी जाने वाली धनराशि (जिसका प्राविधान मूल स्वीकृति में नहीं किया गया है) का प्राविधान करने का अनुरोध किया गया है ताकि वन विभाग द्वारा अनापत्ति तथा भूमि हस्तान्तरण करने की कार्यवाही की जा सके।

3- महानिदेशक पर्यटन के उक्त प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रायोजना की मूल स्वीकृत लागत रू0-740.10 लाख में वन विभाग को दी जाने वाली धनराशि रू0-2591511.00 को सम्मिलित करते हुये एतद्द्वारा प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत रू0-766.01511 लाख (रूपये सात करोड छाछठ लाख एक हजार पांच सौ ग्यारह मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुमति इस अभ्युक्ति सहित श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं कि प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश सं0-21/2020/3486/41-2019-130(बजट)/2019 दिनांक 14-01-2020 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गई धनराशि रू0-370.05 लाख (जिसके सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त है) में से वन विभाग को प्राविधानित धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- उक्त के अतिरिक्त संदर्भगत परियोजना हेतु धनराशि के व्यय के संबंध में निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

(1) प्रश्नगत परियोजना हेतु शासनादेश सं0-21/2020/3486/41-2019-130(बजट)/2019 दिनांक 14-01-2020 में अंकित समस्त शर्तो व प्रतिबन्धों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रायोजना हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020 , शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 , शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 एवं वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या : 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनाँक : 22 मार्च, 2021 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- उपाध्यक्ष, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद मथुरा।
4- उपाध्यक्ष, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
5- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ब्रज तीर्थ विकास परिषद, मथुरा।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, मथुरा
7- संबंधित उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
11- उप निदेशक पर्यटन, आगरा।
12- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
13- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in